राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांक : एफ 40(35)ग्रावि / नरेगा / व्य.ला.का. / 2011 जयपुर, दिनांक 28 MAR 2016

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" प्रोजेक्ट मोड में स्वीकृत किये जाकर कार्य कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" अन्तर्गत प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार को रूपये 3.00 लाख तक की सीमा में व्यक्तिगत लाभ का अनुमत कार्य स्वीकृत किया जा सकता है। इस अनुमत सीमा में रूपये 3.00 लाख में श्रम मद पर व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित नही है परन्तु सामग्री मद पर 1.20 लाख रूपये से अधिक व्यय नही किया जा सकता है। प्रायः यह देखने में आया है कि पात्र लाभार्थीयों के खेतों पर औसतन 50 हजार से 1 लाख रुपये तक के कार्य ही स्वीकृत किये जाते है, जबकि रूपये 3.00 लाख के अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के लिए 90 अकुशल श्रमिक एवं पशु आश्रय / बकरी आश्रय / सूकर आश्रय / कुक्कुट आश्रय के कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :-

1. वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पात्र दुर्बल वर्गो के लिए प्रति जॉबकार्डधारी परिवार वित्तीय सीमा रु0 3 लाख में व्यक्तिगत लाभ के निम्न कार्य स्वीकृत किये जा सकते है :-

   1.1 भूमि विकास कार्य जैसे भूमि समतलीकरण, छोटे बांध / तलाई की उपजाऊ मिट्टी (Silt) लाकर खेत में डालकर भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना, ढलानी खेत में सीढ़ीनुमा खेत तैयार करना ताकि बंजर खातेदारी भूमि को खेती योग्य बनाया जा सके, मेडबन्दी कार्य मय वानस्पतिक बाड़ / अवरोध लगाना।

   1.2 खेत के चारो ओर वानिकी पौधारोपण एवं अनावश्यक बारानी भूमि में चारा उत्पादन। खेत मे उद्यानिकी पौधारोपण व उनका रखरखाव (जहां मौके पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो)।

   1.3 वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्टिंग आदि कार्य।

   1.4 कृषि भूमि पर भू-जल संरक्षण कार्य जैसे पानी निकास हेतु नाली निर्माण एवं पानी के रूकाव हेतु चैकडेम कार्य एवं उपयुक्त क्षेत्रों में खड़ीन निर्माण कार्य।

   1.5 कच्चे धोरे बनाने का कार्य अथवा कच्चे धोरों को पक्का करने का कार्य, फार्म पोण्ड, डिग्गी टांके, जल होज, उपयुक्त स्थानों पर कूप गहरा करना आदि कार्य।

   1.6 मछली शुष्कण यार्डो, भण्डारण सुविधाओं जैसे मछली पालन और संवर्धन कार्य।

2. राशि रु0 3 लाख की राशि के अतिरिक्त कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका, अजोला जैसे पशु धन संवर्धन के कार्य स्वीकृत किये जा सकते है

3. इन्दिरा / राज्य आवास योजना के लिए 90 अकुशल श्रमिक (वर्तमान दर रु0 173 प्रति दिन) की राशि रु0 15570 ऊपर वर्णित रु0 3 लाख की राशि के अतिरिक्त देय है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के समस्त कार्यो को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट मोड के तहत अधिक से अधिक स्वीकृत किया जाकर लाभान्वित किया जावे।

भवदीय,

26/3/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
4. श्री रिंकू, एम.आई.एस. मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई–मेल कराने बाबत।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस